प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
आगरा/ मथुरा/ फिरोजाबाद/ एटा/ कांशीराम नगर/ अलीगढ़/
महामायानगर/ बदायूँ/ मुरादाबाद/ ज्योतिबाफूले नगर/ मेरठ/ बागपत/
गाजियाबाद/ बुलन्दशहर/ गौतमबुद्ध नगर/ सहारनपुर/ मुजफ्फर नगर।

संख्या:- 171 /सा0-1/एक्स-160/एफ0एम0डी0-सी0पी0/टीकाकरण/2012-13, दिनांक 18 मई,2012

विषय:- **खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ0एम0डी0-सी0पी0) के बारहवें चरण का टीकाकरण अभियान प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ0एम0डी0-सीपी) बारहवें चरण के टीकाकरण अभियान हेतु आपको पूर्व से ही एफ0एम0डी0 वैक्सीन की आपूर्ति की जा चुकी है। अतः भारत सरकार के पत्र संख्या 53-58/2007 एलडीटी (एलएच)पीटी दिनांक 7 जून 2011 द्वारा खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण की योजना के सफल संचालन हेतु दिये गये अद्यतन दिशा निर्देश (छाया प्रति संलग्न) एवं निम्न अनुदेशों का पालन करते हुये **दिनांक 28 मई, 2012** से बारहवें चरण का टीकाकरण अभियान प्रारम्भ कर दें।

- टीकाकरण हेतु 1 पशु चिकित्साधिकारी, 2 पशुधन प्रसार अधिकारी, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टीम बनायें तथा आवश्यकतानुसार एवं उपलब्धता अनुरूप पैरावेट को भी सम्मिलित करें।
- एक गांव में एक पशु चिकित्साधिकारी के अधीन 2 या 3 टीमों से टीकाकरण करायें।
- प्रति टीम 400 टीका प्रति दिन की दर से **60 दिन** में टीकाकरण पूर्ण करने हेतु जनपद की पशु संख्या के अनुसार प्रत्येक जनपद में टीमों का गठन करें।
- जिन जनपदों में निर्धारित टीमों की आवश्यकतानुसार स्टाफ की कमी है वहाँ पर उप निदेशक मण्डल अन्तर्गत जनपदों से अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करें।
- ग्राम वार, तिथि वार टीकाकरण का माइक्रोप्लान तैयार करें।
- 4 माह से कम उम्र के पशु (बच्चों) एवं 8 माह से अधिक गर्भित पशुओं का टीकाकरण नही किया जाना है।

- उपलब्ध सिरिंज, निडिल एवं अन्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हुये टीकाकरण प्रारम्भ करें। टीकाकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यक सामग्री पशु चिकित्सालय, बादशाहबाग, लखनऊ से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

- विषाणुजन्य वैक्सीन होने के कारण वैक्सीन को 2-8 सेंटीग्रेड तापक्रम पर शीत अवस्था में परिरक्षण एवं परिवहन करना अनिवार्य है।

- कोल्ड चेन अन्तर्गत जनपद स्तर पर सम्पूर्ण वैक्सीन कोल्ड कैबिनेट/आइसलाइनर्स में परिरक्षित की जाय तदोपरान्त पर्याप्त कोल्ड चेन में ब्लाक स्तर पर पहुँचाया जाये।

- ब्लाक स्तर पर दो दिन की आवश्यकतानुसार वैक्सीन की मात्रा कोल्ड बाक्सेज में परिरक्षित की जाये।

- मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी कोल्ड बाक्सेज के लिये पर्याप्त मात्रा में बर्फ/आइसपैक की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

- क्षेत्र स्तर पर वैक्सीन कैरियर्स में प्रत्येक टीम को दैनिक आवश्यकतानुरूप वैक्सीन उपलब्ध करायी जाये। प्रत्येक दिन की बची हुई वैक्सीन पुनः विकास खण्ड स्तर पर परिरक्षित की जाये।

- टीकाकरण टीम द्वारा प्रत्येक पशु को लगाये गये टीके का विवरण पशु स्वामी को पूर्व में उपलब्ध कराये गये हेल्थकार्ड में तिथि सहित अंकित किया जाये। यदि किसी कारणवश पूर्व में जारी हेल्थकार्ड उपलब्ध न हो तो नये हेल्थकार्ड जारी किये जायें। हेल्थकार्ड पालीथीन कवर में उपलब्ध कराया जाये।

- प्रत्येक टीम द्वारा प्रतिदिन टीकाकरण पंजिका में टीकाकरण का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये एवं संकलित सूचना जनपद मुख्यालय को प्रेषित की जाये।

- प्रत्येक दिन जनपद स्तर पर संकलित सूचना उसी दिन निदेशालय पशुपालन विभाग स्थित एफ0एम0डी0-सी0पी0 कन्ट्रोल रूम को दूरभाष नम्बर 0522-2740832 पर उपलब्ध करायी जाये।

- जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित करें तथा उसका नाम व दूरभाष नम्बर निदेशालय को सूचित करें।

- कार्यक्रम का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाये।

- कार्यक्रम के समयबद्ध संचालन, वैक्सीनों एवं टीमों के परिवहन के लिये प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर कम से कम एक वाहन उपलब्ध कराया जाये। आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लिये जाये।
- एडमास द्वारा प्रत्येक जनपद के चयनित 10 ग्रामों से टीकाकरण के पूर्व 10 गोवंशीय एवं 10 महिषवंशीय पशुओं तथा टीकाकरण उपरान्त 30 दिन बाद पुनः उन्हीं पशुओं का रक्त/सीरम सैम्पल एकत्र किया जाये। सीरम सैम्पल एकत्र करने से पूर्व पशुओं का चिन्हिकरण किया जाये।
- कार्यक्रम के दौरान बाहर से भेजे गये स्टाफ के रूकने/ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था का अनुश्रवण विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाये।
- नव सृजित जनपद पंचशील नगर के पशुओ में होने वाला टीकाकरण मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद, प्रबुद्धनगर के पशुओं में होने वाला टीकाकरण मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मुजफ्फरनगर एवं भीमनगर के पशुओं में होने वाला टीकाकरण मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद के स्तर से सम्पन्न कराया जायेगा। 12वें चरण हेतु टीकाकरण का संशोधित लक्ष्य संलग्न है।

अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

संख्या:- /सा0-1/एक्स-160/एफ0एम0डी0-सी0पी0/टीकाकरण/2012-13, तद्दिनांक

प्रतिलिपि

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर।
4- जिलाधिकारी, आगरा/ मथुरा/ फिरोजाबाद/ एटा/ कांशीराम नगर/ अलीगढ़/ महामायानगर/ बदायूँ/ मुरादाबाद/ ज्योतिबाफूले नगर/ मेरठ/ बागपत/ गाजियाबाद/ बुलन्दशहर/ गौतमबुद्ध नगर/ सहारनपुर/ मुजफ्फर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी कार्यक्रम के कियान्वयन का सतत् अनुश्रवण कराकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
5- समस्त उप निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- उप निदेशक, पशुपालन विभाग, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ एवं सहारनपुर को टीकाकरण अभियान में पूर्ण सहभागिता निर्वहन करने हेतु।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

No. 53-58/2007-LDT (LH) pt.
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the ~~May~~ 7th June 2011

Subject: Implementation of Foot and Mouth Disease Control Programme (FMD-CP).

The Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries is implementing Foot and Mouth Disease Control Programme (FMD-CP) in 221 districts in the States/ UTs of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Goa, Gujarat, Punjab, Haryana, Andaman & Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Delhi, Lakshdweep, Pudducherry and 16 districts in Uttar Pradesh. Funds under this component are provided for procurement of vaccine to be supplied to States/ UTs and for meeting vaccination cost, animal identification cards, establishment of temporary quarantine/ check posts and other logistical support for undertaking vaccination by the States/UTs and for sero-monitoring by PD-FMD.

2. Of late, it has been observed that there are some cases of anaphylactic shocks in animals after vaccination with FMD vaccine under the programme. The causes of such shocks are due to many factors including some human errors during vaccination. While the vaccine manufacturers have been instructed suitably for ensuring supply of safe vaccine, efforts need to be made to vaccinate the animals by fully trained vaccinators to avoid faulty pricks. Funds are provided under ASCAD for skill up gradation of vets and paravets. These funds may be used for trainings of paravets engaged in the FMD vaccination programme.

3. A set of guidelines for effective vaccination under Foot and Mouth Disease Control Programme (FMD-CP) is enclosed.

Yours faithfully,

(R.S. Rana)
Joint Secretary to the Government of India

10-06-2011

To,

The Principal Secretary/Secretary (AH),
Government of Maharashtra, Andhra Pradesh, Punjab, Haryana, Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Delhi, Karnataka, Goa, Kerala, Pudducherry, UT of Andaman & Nicobar, Lakshdweep, Daman &Diu, Dadra & Nagar Haveli

Copy to: The Commissioner/ Director of Department of Animal Husbandry of the States/UTs mentioned above.

Guidelines for effective vaccination under Foot and Mouth Disease Control Programme (FMD-CP):

1. Vaccination campaign may be launched after holding preparatory meetings involving all concerned for proper planning for village-wise vaccination campaign and ensure ample publicity regarding vaccination campaign in the targeted areas. The intimation of such meetings including minutes of the meetings and publicity material used may be communicated to the Department.

2. Ensure availability of all the logistics required for safe vaccination before the start of the vaccination programme.

3. Vaccine storage at appropriate temperature, as per the instructions of the manufacturers, maintaining continuous cold chain throughout the vaccination period may be strictly adhered to. In no case the vaccines are carried in hands/pockets while carrying out vaccination.

4. Vaccination campaign may be planned in a systematic manner so as to avoid exposure of vaccine to high temperature (preferably during mornings and evenings in summer seasons).

5. Vaccination in the animals is carried out only by the trained vaccinators are ensured and the exact dose of vaccine is withdrawn from the vaccine vials and properly injected.

6. Ensure that six monthly vaccinations are done and each round is completed within the stipulated time.

7. Ensure that 100% of the eligible animals are vaccinated in the districts.

8. Proper records of vaccination are maintained in the institutions as well as proper entry of vaccination in the Animals Health Cards/ Vaccination Cards.

9. Ensure that the serum samples are collected (both pre and post vaccination) from 200 animals from each district and sent to the respective testing centres of PD-FMD (ICAR) immediately. The reports are forwarded to the Central Government in prescribed formats.

10. In order to streamline the vaccination campaign in the States/UTs, a State level and district level monitoring committees may be set up. The Nodal Officers both at State as well as District level will coordinate and liaise for effective implementation of the programme.